भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4203
(19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा का अभिसरण

4203. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या जल जीवन मिशन के साथ अभिसरण सफल रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) 2023-24 के दौरान ऐसे अभिसरण के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों का ब्यौरा क्या है और रोजगार सृजन एवं ग्रामीण आजीविका पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हो , को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का रोजगार प्रदान करना है। जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व की उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण होता है।

महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-I पैरा 4 (1), IV: श्रेणी: घ: ग्रामीण अवसंरचना: (ii) के अनुसार [संपर्कविहीन गांवों और सीमावर्ती क्षेत्रों] को बारहमासी ग्रामीण सड़क संपर्क प्रदान करना और चिन्हित ग्रामीण उत्पादन केंद्रों को मौजूदा पक्के सड़क नेटवर्क से जोड़ना ; और एक गांव में दोनो तरफ नालियों और पुलियों सहित पक्की आंतरिक सड़कों या गलियों का निर्माण; और

श्रेणी: क: प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित सार्वजनिक कार्य: (i) भूजल संवर्धन और सुधार हेतु जल संरक्षण तथा जल संचयन संरचनाएँ , जैसे भूमिगत बांध, मिट्टी के बाँध, स्टॉप डैम, चेक डैम और सरकारी या पंचायत भवनों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाएँ , जिनमें पेयजल स्रोतों सहित भूजल पुनर्भरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है; अनुमेय गतिविधियाँ हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के समन्वय से बारहमासी ग्रामीण सड़क संपर्क कार्य किए जा रहे हैं। गैर-पीएमजीएसवाई बस्तियों को एकल बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार नियोजन , डिज़ाइन, कार्यान्वयन, गुणवत्ता नियंत्रण और रखरखाव सुनिश्चित किया जाना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और जल संचयन की श्रेणी से संबंधित कार्य समुदाय की माँग और स्थानीय आवश्यकता के अनुसार किए जा रहे हैं , जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जल जीवन मिशन का समर्थन करते हैं।

(ख): वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के तहत ग्रामीण संपर्कता और जल संरक्षण एवं जल संचयन की श्रेणी में सृजित परिसंपत्तियों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 19.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या4203 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण संपर्कता और जल संरक्षण एवं जल संचयन संबंधी कार्यों का राज्यवार विवरण							
क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण संपर्कता से संबंधित पूर्ण कार्य			जल संरक्षण और जल संचयन		
		निर्मित	कुल व्यय(लाख रुपये में)	सृजित श्रम दिवस	निर्मित	कुल व्यय (लाख रुपये में)	सृजित श्रम दिवस
1	आंध्र प्रदेश	17,384	74,506.50	51,46,776	20,934	49,134.92	1,97,07,155
2	अरुणाचल प्रदेश	743	17,005.75	47,64,292	166	2,731.55	6,94,700
3	असम	908	1,937.15	4,86,321	4,959	20,547.60	72,94,463
4	बिहार	40,935	1,53,580.18	2,81,81,093	33,561	69,275.06	2,59,04,610
5	छत्तीसगढ़	5,963	27,871.28	83,44,454	18,274	88,453.36	3,28,14,219
6	गोवा	2	47.24	5,750	2	22.6	3,886
7	गुजरात	4,870	41,671.57	54,83,937	6,550	39,296.19	85,08,324
8	हरियाणा	1,329	15,286.95	14,61,981	378	4,516.77	12,12,522
9	हिमाचल प्रदेश	11,940	28,844.15	46,94,094	4,573	6,657.89	14,45,622
10	झारखंड	2,208	5,183.58	9,69,980	7,581	4,992.90	16,28,088
11	कर्नाटक	32,713	91,009.66	86,26,906	47,749	2,03,252.79	6,07,92,715
12	केरल	15,762	25,763.05	6,97,225	66,731	1,76,317.86	5,17,82,298
13	मध्य प्रदेश	26,700	70,264.44	1,57,13,542	77,346	3,03,078.00	8,98,19,040
14	महाराष्ट्र	4,565	1,06,391.46	1,86,88,041	3,864	26,399.45	97,69,136
15	मणिपुर	2,094	18,994.97	44,81,717	1,267	7,772.08	15,28,885
16	मेघालय	4,547	47,478.18	1,47,73,132	2,336	11,150.98	25,87,704
17	मिजोरम	1,981	7,456.96	17,24,691	834	2,931.79	7,37,163
18	नागालैंड	1,105	17,187.81	40,38,019	464	5,174.98	6,80,255
19	ओडिशा	15,228	39,692.11	1,24,66,346	15,341	1,20,869.10	4,08,35,437
20	पंजाब	15,855	31,807.10	81,79,639	1,064	2,292.81	6,62,453
21	राजस्थान	19,782	2,49,599.30	8,51,19,065	26,469	3,08,828.09	15,07,14,940
22	सिक्किम	208	1,238.62	3,25,641	425	563.74	84,104

23	तमिलनाडु	17,210	1,00,234.87	64,44,644	1,31,354	7,99,351.84	29,53,09,653
24	तेलंगाना	17,423	1,26,280.47	71,06,346	13,509	51,595.94	2,82,52,161
25	त्रिपुरा	3,114	24,791.64	16,33,146	2,900	5,421.25	21,13,333
26	उत्तर प्रदेश	67,147	1,87,722.48	1,20,36,910	36,568	1,42,328.73	5,54,41,532
27	उत्तराखंड	6,474	9,708.19	25,45,391	8,177	8,417.43	22,41,924
28	पश्चिम बंगाल	469	0.19	43	259	1.06	
29	अंडमान और निकोबार	32	92.9	22,761	32	102.73	17,633
30	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	-	-	-	-	-
31	जम्मू और कश्मीर	10,522	24,713.17	78,36,228	5,521	6,555.03	16,79,656
32	लद्दाख	706	1,716.73	4,80,959	97	188.22	53,708
33	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	65
34	पुदुचेरी	17	164.91	8,596	84	1,005.62	3,88,388
	कुल	**3,49,936**	**15,48,244**	**27,24,87,666**	**5,39,369**	**24,69,228.36**	**89,47,05,772**